संख्याः–   /XVIII(II)/2018–01(48)/2014

प्रेषक,

बी0एम0 मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– संस्था द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल पॉलीटेक्निक, अस्पताल, विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यो हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरूद्व विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

7– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– संस्था द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनिमय, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– संस्था द्वारा स्थापित किये जाने वाले पॉलीटेक्निक, अस्पताल, विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

12– संस्था द्वारा अपने परिसर तक वन भूमि गुजरने वाले पहुंच मार्ग का उपयोग आवागमन हेतु उसी दशा में करेगें जैसे स्थानीय ग्रामवासी करते हैं, अन्य जुड़ी हुई वन भूमि में प्रवेश नहीं करेगें।

13– संस्था द्वारा मार्ग के वर्तमान स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।

14– संस्था द्वारा आवागमन के समय वन्य जन्तुओं तथा स्थानीय वनस्पति को हानि नहीं पहुंचायी जायेगी।

15– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित समिति का होगा।

16– सम्बन्धित समिति द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

...3

17– सम्बन्धित समिति द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

18– सम्बन्धित समिति द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19– सम्बन्धित इकाई द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी उस भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगें।

20– इकाई को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

21– संस्था राज्य सरकार/शासन के संबंधित विभाग से पॉलीटेक्निक, अस्पताल, विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु सभी आवश्यक अनुज्ञायें/स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त करेगी।

22– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, शर्तों के उल्लंघन होने की दशा में अथवा किन्ही अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया, तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या– 816/XVIII(II)/2018,तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा/विद्यालयी शिक्षा/चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– डॉ0 विजय धस्माना, सदस्य अध्यक्षीय समिति, हिमालनयन इंस्ट्टीयूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, स्वामी रामनगर, पी0ओ0 डोईवाला, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।